TRACCIA N° 1
ESTRATTA

गाज़ा पट्टी - रणभूमि में तब्दील हो चुके हैं अस्पताल

ग़ाज़ा पट्टी में युद्ध के कारण दरकती स्वास्थ्य सेवाओं और आम फ़लस्तीनियों के लिए उपचार व देखभाल की बदहाल व्यवस्था पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शुक्रवार को एक आपात बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रतिनिधि ने परिषद के सदस्य देशों को वहाँ मौजूदा हालात से अवगत कराते हुए चिन्ता जताई कि स्वास्थ्य केन्द्र, युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुके हैं। ग़ाज़ा और पश्चिमी तट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रिक पीपरकोर्न (Rick Peeperkorn) ने भी सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को ग़ाज़ा में संकट पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग़ाज़ा इस समय गम्भीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, जहाँ अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक क़रीब सात फ़ीसदी आबादी युद्ध में हताहत हो चुकी है। "2025 की शुरुआत एक गम्भीर और बेहद चिन्ताजनक स्थिति में हुई है, जबकि हिंसा गहन रूप धारण कर रही है"। उन्होंने ध्यान दिलाया कि अब तक हिंसा में घायल हुए एक लाख से अधिक फ़लस्तीनियों में से क़रीब 25 फ़ीसदी पीड़ित, जीवन को बदल कर रख देने वाली अवस्था का सामना कर रहे हैं। "मौजूदा दर पर, गम्भीर रूप से बीमार सभी मरीज़ों को यहाँ से बाहर ले जाने में क़रीब 5 से 10 वर्ष तक का समय लग सकता है"। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने स्वास्थ्य केन्द्रों पर 654 हमलों की पुष्टि की है, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, बडी संख्या में लोग घायल हुए हैं। "मगर, इन विपरीत परिस्थितियों में भी स्वास्थ्यकर्मियों, WHO और साझेदार संगठनों ने जितना सम्भव हो सके, इन सेवाओं को जारी रखा है"। यूएन एजेंसी के प्रतिनिधि ने ग़ाज़ा के लिए सहायता का स्तर बढ़ाने, उपचार के लिए मरीज़ों को अन्य देशों के लिए रवाना किए जाने में तेज़ी लाने, अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी क़ानून का अनुपालन करने और युद्धविराम लागूए किए जाने का आग्रह किया है।

TRACCIA N° 7
ESTRATTA

वैब फ़ोरम: एक सुरक्षित व न्यायसंगत डिज़िटल भविष्य को आकार देने पर चर्चा

डिजिटल जगत में विशाल बदलावों से उपज रही चुनौतियों व एआई टैक्नॉलॉजी में निहित अपार सम्भावनाओं पर चर्चा के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद में, सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के 19वें इंटरनैट फ़ोरम की शुरुआत हुई है। हाल ही में, वैश्विक डिजिटल कॉम्पैक्ट (Global Digital Compact) के पारित होने के बाद आयोजित इस फ़ोरम में 170 से अधिक देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसकी थीम है: हमारे डिजिटल भविष्य का निर्माण। डिजिटल कॉम्पैक्ट फ़्रेमवर्क को भविष्य के लिए सहमति-पत्र (Pact for the Future) के तहत पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल टैक्नॉलॉजी का उपयोग, मानवता के सर्वोत्तम हितों को साधने के लिए किया जाए। यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश (Antonio Guterres) ने इस आयोजन के लिए अपने सन्देश में डिजिटल टैक्नॉलॉजी में रूपान्तरकारी बदलाव लाने की शक्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी ने बुनियादी तौर पर हमारी दुनिया को नया आकार दिया है और मानव प्रगति में तेज़ी लाने के लिए इसमें अपार सम्भावना है। "मगर सभी लोगों के लिए इन सम्भावनाओं के द्वार खोलने के लिए रक्षा उपायों की और संचालन प्रणाली के लिए सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी"। फ़ोरम के दौरान डिजिटल समावेशन, कृत्रिम बुद्धिमता टैक्नॉलॉजी के संचालन और ऑनलाइन माध्यमों पर फैल रही ग़लत जानकारी से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। डिजिटल टैक्नॉलॉजी के इस्तेमाल में तेज़ गति से विस्तार हुआ है, मगर इसके बावजूद, दुनिया भर में अब भी 2.6 अरब लोग इंटरनैट तक पहुँच से दूर हैं। इनमें से अधिकाँश आबादी विकासशील देशों में बसी है। इस खाई को पाटना और डिजिटल जगत में भरोसे व सुरक्षा को बढ़ावा देना, इंटरनैट फ़ोरम के दौरान होने वाली चर्चाओं के केन्द्र में होगा। सऊदी अरब के संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अब्दुल्लाह अलस्वाहा ने बताया कि रियाद में आयोजित यह फ़ोरम, कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के इस युग में, अन्तरराष्ट्रीय डिजिटल सहयोग को प्रोत्साहन देने का एक वैश्विक मंच है।

TRACCIA N° 8
ESTRATTA

साइबर अपराधों से निपटने पर लक्षित अहम सन्धि, यूएन महासभा में पारित

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइबर अपराधों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण वैश्विक सन्धि को पारित किया है, जोकि इस विशाल चुनौती से निपटने और डिजिटल जगत में पनप रहे ख़तरों से समाजों की रक्षा करने पर केन्द्रित है। यूएन महासभा ने क़ानूनी रूप से बाध्यकारी इस सन्धि को मंगलवार को पारित किया है, और यह पिछले पाँच वर्षों से यूएन सदस्य देशों के प्रयासों का नतीजा है। इस प्रक्रिया में नागरिक समाज, सूचना सुरक्षा विशेषज्ञों, शिक्षा जगत और निजी सैक्टर के प्रतिनिधियों की भी राय ली गई। यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश (Antonio Guterres) ने इस सन्धि पर सहमति वनने का स्वागत किया है। पिछले 20 वर्षों में अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय के लिए यह पहली सन्धि है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि यह सन्धि कठिन दौर में बहुपक्षवाद की सफलता की परिचायक है और साइबर अपराधों का मुक़ाबला करने और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के ज़रिये उनकी रोकथाम करने के लिए सदस्य देशों की सामूहिक भावना को प्रदर्शित करती है। यूएन प्रमुख के अनुसार, इस कन्वेंशन से सहयोग का एक अभूतपूर्व प्लैटफ़ॉर्म तैयार होगा, साक्ष्यों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा, पीड़ितों और ऑनलाइन माध्यमों पर मानवाधिकारों की रक्षा की जा सकेगी। "महासचिव को भरोसा है कि इस नई सन्धि से एक सुरक्षित साइबर जगत को वढ़ावा मिलेगा, और उन्होंने सभी सदस्य देशों से इस कन्वेंशन में शामिल होने और प्रासंगिक हितधारकों के सहयोग से इस अमल में लाने का आग्रह किया है"। यूएन महासभा के अध्यक्ष फ़िलेमॉन यैंग (Philemon Yang) ने कहा कि इस सन्धि के पारित होने से साइबर अपराधों की रोकथाम, उनसे निपटने के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को मज़बूती मिलेगी और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। 193 सदस्य देशों वाली यूएन महासभा में इस सन्धि की स्वीकृति के लिए लाए गए प्रस्ताव को बिना मतदान के पारित किया गया।

2

TRACCIA N° 2
NON ESTRATTA

नव वर्ष सन्देश: उत्सर्जनों में कटौती करने की पुकार

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश (Antonio Guterres) ने नव वर्ष के लिए अपने सन्देश में कहा है कि हमें एक साथ मिलकर, 2025 में एक नई शुरुआत को आकार देना होगा, एक विभाजित विश्व के रूप में नहीं, बल्कि एकजुट देशों के रूप में। महासचिव गुटेरेश ने वर्ष 2024 की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए ध्यान दिलाया कि उम्मीद दुर्लभ रही है। "अनेक युद्ध, असीम पीड़ा, कष्ट और विस्थापन फैला रहे हैं"। "विषमताएँ और विभाजन उछाल पर हैं – जिनसे तनावों और अविश्वास को ईंधन मिल रहा है"। उन्होंने जलवायु संकट के प्रति ध्यान आकृष्ट करते हुए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि हमने अभी घातक गर्मी का एक दशक देखा है। "रिकॉर्ड पर 10 सबसे अधिक गर्म वर्ष, बीते 10 वर्षों के दौरान घटित हुए हैं, जिनमें 2024 भी शामिल है। यह जलवायु अव्यवस्था है – वास्तविकता में। "इस पृष्ठभूमि में, यूएन प्रमुख ने विनाश के इस रास्ते से हटने की पुकार लगाई और आगाह किया कि खोने के लिए हमारे पास समय नहीं है। "2025 में, देशों को, कार्बन उत्सर्जनों में व्यापक कटौतियाँ करके, और एक नवीनीकृत भविष्य की दिशा में बदलाव का समर्थन करके, दुनिया को एक सुरक्षित रास्ते की ओर मोड़ना होगा। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि सबसे स्याह दिनों में भी, उम्मीद की शक्ति के सहारे बदलावों को हासिल किया जा सकता है। "मैं कार्यकर्ताओं में उम्मीद देखता हूँ – युवाओं और बुज़ुर्गों में – जब वो प्रगति के लिए अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। मुझे उन असाधारण मानवीय हस्तियों में उम्मीद नज़र आती है जो बेहद कमज़ोर हालात वाले लोगों की सहायता करने के लिए, विशालकाय बाधाओं पर पार पाते हैं"। यूएन प्रमुख ने कहा कि उन्हें वित्तीय और जलवायु न्याय के लिए जद्दोजेहद कर रहे विकासशील देशों, मानवता के लिए नई खोज कर रहे वैज्ञानिकों और आविष्कारकों में आशा दिखाई देती है।

3

TRACCIA N° 3
NON ESTRATTA

अफ़ग़ानिस्तान - महिला अधिकारों पर प्रहार

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क (Volker Turk) ने अफ़ग़ानिस्तान में अफ़ग़ान महिलाओं को रोज़गार देने वाले ग़ैर-सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द किए जाने के निर्णय पर गहरी चिन्ता जताई है और उसे वापस लिए जाने की अपील की है। देश में तथ्यत: (de facto) तालेबान प्रशासन में अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने 26 दिसम्बर को इस विषय में दो वर्ष पुराने अपने एक आधिकारिक आदेश को अमल में लाने की घोषणा की, जिसमें अफ़ग़ान महिलाओं के राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय ग़ैर-सरकारी संगठनों में काम करने पर पाबन्दी थोपी गई थी। मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने मंगलवार को जारी अपने वक्तव्य में कहा कि इस आदेश का, अफ़ग़ानिस्तान में ज़रूरतमन्द आबादी तक मानवीय सहायता प्रयासों पर गहरा असर होगा। अफ़ग़ानिस्तान में आधी से अधिक आबादी निर्धनता में जीवन गुज़ार कर रही है और विशाल संख्या में लोग मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। तालेबान ने अगस्त 2021 में, अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता को हथियाने के बाद से ही महिलाओं व लड़कियों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया है। लड़कियों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से दूर कर दिया गया है और महिलाओं के युनिवर्सिटी में पढ़ाई-लिखाई पर पहले ही पाबन्दी लगा दी गई थी। महिलाओं व लड़कियों के मनोरंजन पार्क, सार्वजनिक स्नानघर, जिम, स्पोर्ट्स क्लब में जाने पर पाबन्दी है, और देश में महिलाओं व लड़कियों के लिए पोशाक संहिता सख़्ती से लागू की गई है. उन्हें बिना किसी पुरुष संगी के लम्बी यात्रा करने की अनुमति नहीं है। यूएन कार्यालय ने चिन्ता जताई है कि ग़ैर-सरकारी में अफ़ग़ान महिलाओं के कामकाज पर रोक लगाने वाले आदेश से महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से मिटा दिया जाएगा, जिससे देश की प्रगति प्रभावित होगी।

4

TRACCIA N° 4
NON ESTRATTA

वैश्विक प्रतिबद्धताओं के बावजूद, बाल सैनिकों की भर्ती मामलों में उछाल

सशस्त्र टकरावों के दौरान सैनिकों के रूप में इस्तेमाल किए जाने से बच्चों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिए गए संकल्प को वर्ष 2024 में 35 वर्ष पूरे हो गए। हालांकि, इसके बावजूद हथियारबन्द गुटों द्वारा बाल सैनिकों की भर्ती उनके इस्तेमाल के मामलों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। वर्ष 1989 में पारित होने के दौरान, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सन्धि को एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते के रूप में देखा गया था, जिसने देशों की सरकारों को बच्चों को हिंसा और शोषण से बचाने की दिशा में क़दम उठाने और अनेक क़ानूनों को भी स्वीकृति देने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके एक दशक बाद, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सैनिकों के रूप में भर्ती पर पाबन्दी के लिए एक प्रोटोकॉल को पारित किया गया, जिस पर अब तक 173 देशों ने मुहर लगाई है। मगर, इन सैन्य तौर-तरीक़ों का अन्त करने के बजाय, हथियारबन्द गुटों ने सशस्त्र टकरावों के दौरान बाल सैनिकों की भर्ती और उनके इस्तेमाल को बढ़ाया है। इससे प्रभावित अधिकाँश को अगवा करने के बाद उन्हें जबरन भर्ती किया गया था। बड़ी संख्या में लड़कियों को बलात्कार और यौन हिंसा का शिकार बनाया जाता है और उनकी ख़रीद-फ़रोख़्त, बेचे जाने और तस्करी की ओर धकेले जाने की भी घटनाएँ हुई हैं। सशस्त्र टकरावों और बच्चों के लिए यूएन महासचिव की विशेष प्रतिनिधि ने मंगलवार को क्षोभ व्यक्त किया कि सैन्य टकराव का इस्तेमाल बढ़ने का बच्चों पर भयावह असर हुआ है। इसके प्रभावों को इसराइल, क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े, सूडान, लेबनान, म्याँमार और यूक्रेन में देखा जा सकता है। यूएन प्रतिनिधि वर्जीनिया गाम्बा (Virginia Gamba) ने कहा कि बच्चों की कराह, हिंसक टकरावों से जूझ रहे इलाक़ों में सुनी जा सकती है, मगर इसके बावजूद, दुनिया ने चुप्पी ओढ़ रखी है।

5

TRACCIA N° 5
NON ESTRATTA

2024 में कम से कम 68 पत्रकारों को मार दिया गया, यूनेस्को

संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन - UNESCO की महानिदेशक ऑड्रे अज़ूले (Audrey Azoulay) ने बताया है कि वर्ष 2024 भी पत्रकारों व मीडिया कर्मियों के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हुआ है। पत्रकारों के लिए यह लगातार दूसरा साल है जो जानलेवा साबित हुआ है जिसके दौरान अपना कामकाज करते हुए, कम से कम 68 पत्रकारों को मौत के मुँह में धकेल दिया गया। पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को जान से मार दिए जाने के इन मामलों में से 60 प्रतिशत मामले, ऐसे देशों में हुए जो टकरावों और युद्धों से जूझ रहे हैं। पिछले लगभग एक दशक में ये सबसे बड़ी संख्या है। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अज़ूले ने कहा है कि टकरावों, युद्धों और संकटों से "प्रभावित आबादी की मदद करने और दुनिया को जागरूक करने के लिए विश्वसनीय जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है"। उन्होंने कहा, "यह अस्वीकार्य है कि पत्रकारों को इस काम के लिए अपनी जान देनी पड़े। मैं सभी देशों से अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के अनुसार मीडियाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क़दम उठाने का आहवान करती हूँ"। यूनेस्को की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल टकराव और युद्ध वाले क्षेत्रों में 42 पत्रकार मारे गए, जिनमें फ़लस्तीन में मारे गए 18 पत्रकार और मीडियाकर्मी शामिल हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गईं। यूक्रेन, कोलम्बिया, इराक़, लेबनान, म्याँमार और सूडान जैसे अन्य देशों में भी अनेक पत्रकारों की मौतें हुईं, जिनसे हिंसा और अस्थिरता वाले क्षेत्रों में बढ़े हुए जोखिमों का संकेत मिलता है। वर्ष 2023 में भी इस तरह का दुखद रुझान देखा गया था और इन दो वर्षों में टकरावों व युद्धों में सबसे अधिक संख्या में पत्रकारों की मौत हुई है, जो 2016-2017 के बाद से किसी भी तुलनीय अवधि की तुलना में सबसे अधिक संख्या है।

TRACCIA N° 6
NON ESTRATTA

मानसिक स्वास्थ्य में 'ध्यान' (Meditation) की महत्ता, प्रथम विश्व दिवस

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, दुनिया भर में ध्यान (meditation) या चिन्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, 21 दिसम्बर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है और वर्ष 2024 में यह प्रथम दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस पर शुक्रवार (20 दिसम्बर) को यूएन मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 'विश्व ध्यान दिवस' मनाने का उद्देश्य, दरअसल सभी को उच्च स्तर के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य से लाभान्वित बनाने में मदद करना भी है। प्रथम अन्तरराष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाने के लिए, शुक्रवार, 20 दिसम्बर (2024) को यूएन मुख्यालय के ट्रस्टीशीप काउंसिल चैम्बर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके आयोजन में, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन का प्रमुख योगदान है। यूएन महासभा के 79वें सत्र के लिए अध्यक्ष फ़िलेमॉन यैंग (Philemon Yang) ने इस कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि विश्व ध्यान दिवस से इस प्राचीन पद्धति में निहित लाभ और दैनिक जीवन में उसके अन्तर्निहित मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। "जब हम ध्यान लगाते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क को शान्त, विचारों को केन्द्रित करते हैं और करुणा व सम्मान को जगाते हैं। निजी तौर पर इस रूपान्तरकारी बदलाव का असर दूर तक नज़र होता है, जिससे हमारे परिवारों, हमारे समुदायों और उससे इतर भी समरसता प्रेरित होती है"। यूएन महासभा प्रमुख के अनुसार इससे हमारे भीतर और हमारे इर्दगिर्द शान्ति की बुनियाद तैयार होती है। महासभा ने 21 दिसम्बर को विश्व ध्यान दिवस मनाने के लिए एक प्रस्ताव 6 दिसम्बर 2024 को पारित किया था। महासभा अध्यक्ष फ़िलेमॉन यैंग ने इस अवसर पर अंडोरा, भारत, लिष्टेनश्टाइन, मैक्सिको, नेपाल और श्रीलंका का आभार प्रकट किया, जिनकी अगुवाई में इस अन्तरराष्ट्रीय दिवस की घोषणा के लिए यूएन महासभा में प्रस्ताव को लाया गया था।

TRACCIA N° 9
NON ESTRATTA

रियाद सम्मेलन में, भूमि व सूखा पर वैश्विक कार्रवाई के लिए एक मार्ग

संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा और सर्वाधिक समावेशी भूमि सम्मेलन शनिवार को सऊदी अरब के रियाद शहर में में संपन्न हुआ है, जिसमें दो सप्ताह तक चली गहन वार्ता के बाद वैश्विक कार्रवाई के लिए मार्ग तैयार किया गया है। इसमें भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के तरीक़ों पर सघन बातचीत हुई है। इन चुनौतियों से विश्व का एक चौथाई हिस्सा प्रभावित है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) के 16वें सम्मेलन यानि COP16 में लगभग 200 देशों ने शिरकत की। इन देशों ने भूमि बहाली व सूखे के प्रति सहनशीलता को राष्ट्रीय नीतियों और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग में प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्धताएँ व्यक्त कीं। इस मुद्दे को खाद्य सुरक्षा व जलवायु अनुकूलन के लिए एक आवश्यक रणनीति समझा गया है। पक्ष देश अलबत्ता, एक सूखा व्यवस्था की एक नई व्यवस्था पर सहमत नहीं हो सके मगर एक मज़बूत राजनैतिक घोषणा और 39 निर्णय अपनाए गए, जो आगे का रास्ता तय करते हैं। यूएनसीसीडी की हाल ही में जारी विश्व सूखा एटलस और सूखा सहनशीलता के अर्थशास्त्र रिपोर्टों के अनुसार, सूखा दुनिया भर में 1.8 अरब लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है, और यह पहले से ही कमज़ोर समुदायों को और परे हाशिए पर धकेल चुका है। इससे प्रति वर्ष अनुमानित $300 अरब का नुक़सान भी होता है, जो कृषि, ऊर्जा व पानी जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को, जोखिम में डालता है। COP16 में हासिल हुए मुख्य परिणाम:

. अन्तरराष्ट्रीय सूखा सहनशीलता वेधशाला का एक प्रोटोटाइप जारी किया गया है जो देशों को कठोर सूखे से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आकलन करने और उसे बढ़ाने में मदद करने वाला पहला वैश्विक AI-संचालित मंच है।

. आदिवासी जन और स्थानीय समुदायों के लिए एक व्यवस्था सृजित - यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके अद्वितीय दृष्टिकोण और चुनौतियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।